झारखण्ड विधान सभा
दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — **नवम्(मॉनसून) सत्र के क्रम में**

संख्या-07 — **शुक्रवार, दिनांक-11 नवम्बर, 2022 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.44 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव सहित सत्तापक्ष के अन्य माननीय सदस्यों ने ''जय झारखण्ड'' के नारे के साथ आसन का अभिवादन किया।

1.प्रारम्भिक वक्तव्य:-

सर्वप्रथम आज की बैठक में आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ''विधि का निर्माण विधायिका का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है। सभा में विभिन्न विचारधारा के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं और उनके बीच मत-मतान्तर होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। सदन की सार्थकता उन मतान्तर और विचारधारा से सर्वमान्य निष्कर्ष निकालने से ही सिद्ध होता है। इस मतान्तर और मत-भिन्नता के बीच एक ऐसी डोर है जिससे हम सभी जनप्रतिनिधि बँधे होते हैं और वह डोर होती है जन-कल्याण की डोर।

हम सब जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल से सम्बद्ध हों, किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, राज्य के आमजनों के कल्याण के लिए हम सब प्रतिबद्ध होते हैं।

माननीय सदस्यगण यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम जिन दो विधेयकों के विचारण के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह न केवल हमारी अस्मिता से जुड़ा है, बल्कि राज्य गठन के महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है, यह कहते हुए उम्मीद जतायी कि अपने सकारात्मक योगदान से हम सब इस राज्य के साढ़े तीन करोड़ जनता के उज्ज्वल भविष्य की नींव स्थापित करने में सफल होंगे।''

2.विधायी कार्य:-

(क) झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2022

पुकारे जाने पर माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग), श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम, बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय मुख्यमंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2022''** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी एवं माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुए।

कृ० पृ० उ०

(ख) **झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक-2022.**

पुकारे जाने पर माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग), श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-03, खण्ड-04, खण्ड-05, खण्ड-06, खण्ड-07 से 08, खण्ड-01 तथा नाम, बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खण्ड-06 (क) में निम्न संशोधन जोड़े गये-

"इस अधिनियम के तहत पहचाने गये स्थानीय व्यक्ति ही राज्य सरकार के वर्ग-03 और 04 के पदों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।" जो स्वीकृत हुआ।

माननीय मुख्यमंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक-2022"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, सर्वश्री अमित कुमार यादव, विनोद कुमार सिंह, रामचन्द्र चन्द्रवंशी एवं माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत विभिन्न संशोधन अस्वीकृत हुए।

(इस क्रम में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सर्वश्री अमर कुमार बाऊरी,समरी लाल,किशुन कुमार दास,केदार हजरा,नारायण दास एवं माननीय सदस्या,श्रीमती पुष्पा देवी अपनी कुछ माँगों को लेकर सदन की वेल में आ गये)

(शोरगुल)

3.सभा पटल पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री विनोद कुमार सिंह, प्रत्यायुक्त विधान समिति ने समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

4.आसन से सूचना:-

आज दोपहर में सभी माननीय सदस्यों को उपवेशिका में की गयी भोजन व्यवस्था पर ससम्मान उपस्थित होने के निमित्त आसन द्वारा संसूचित किया गया। इसके पश्चात् आसन ने दो विधेयकों के सदन में पारित होने पर सभी माननीय सदस्यों का आभार जताया और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आसन की अनुमति से अपना उद्गार व्यक्त किया। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित कर दी गई।

राँची,
दिनांक- 11 नवम्बर, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।